न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)राज0
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 17/2016

1– भूराराम पुत्र श्री पुसाराम जाति मेघवाल निवासी अखेपुरा तहसील नांवा जिला नागौर ।

.....अपीलान्ट

बनाम

1–रामनिवास पुत्र श्री हरीराम जाति जाट निवासी पुनिया की ढाणी तन पीपराली तहसील नांवा जिला नागौर राज0

2–कमलेश पारीक पुत्र हरीराम जाति ब्राहमण निवासी श्री पुरियातीन सुरिया आसाम।

3–गुलाबी देवी पत्नी सुवाराम जाति मेघवाल निवासी अखेपुरा तहीसील नांवा जिला नागौर राज0।

4–हीरादेवी पत्नी पुसाराम जाति मेघवाल निवासी अखेपुरा तहसील नांवा जिला नागौर।

5–सुवाराम पुत्र श्री पुसाराम जाति मेघवाल निवासी अखेपुरा तहसील नांवा जिला नागौर

6–मैनेजर, यूकों बैंक शाखा, गुढासाल्ट तहसील नांवा जिला नागौर ।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री ओम प्रकाश मोठ अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

2–श्री अजीत सिंह राठौड़ अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01की ओर से।

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, नांवा दिनांक 22.09.2015 द्वारा नामान्तरण जो कमलेश के नाम किया एवम उसके बाद में नामान्तकरण रामनिवास के नाम से किया उक्त दोनों ही नामान्तकरण रामनिवास के नाम से किया उक्त दोनों ही नामान्तकरण के खिलाफ अपील पेश है।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

निर्णय

दिनांक:13.08.2021

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नावां के नामान्तरकरण संख्या 51, व 52, दिनांक : 22.09.2015 ग्राम अखेपुरा तहसीलदार नावां के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के सक्षिंप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि खेत खसरा नम्बर 82 रकबा 04.97 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 83 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल रकबा 5.17 हैक्टेयर वाके सरहद अखेपुरा तहसील नांवा में स्थित है। उक्त खसरा नम्बरों पर जागीर समय से ही सम्पूर्ण भूमि स्वर्गीय पुसाराम जी के कब्जा काश्त की चली आ रही थी, जिसका लगान समय समय पर पुसाराम ने ही अदा किया है। उक्त जायगा पर कब्जा व हक अधिकार अपीलार्थी के पिता पुसाराम का ही निर्विवाद रूप से चला आ रहा है एवं स्व0 पुसाराम के स्वर्गवास के पश्चात उक्त भूमि पर कब्जा काश्त अपीलार्थी का ही चला आ रहा है। किन्तु उक्त खातेदारी में हरीराम पुत्र हनुमान बक्स कौम ब्राहम्ण की खातेदारी में नाम दर्ज रहा है, केवल मात्र नाम दर्ज हो जाने से कोई हक अधिकार उसका उव उसके वारिशान का नहीं बनता है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने, दिनांक 02.09.2015 को उक्त हरिराम के स्थ्रान पर प्रत्यार्थी सं0 2 का नाम दर्ज कर दिया एवम उसी तारीख को प्रत्यार्थी सं0 2 ने प्रत्यार्थी सं0 1 को बैचाण कराके प्रत्यार्थी सं0 1 का नाम दर्ज करवा दिया है।

{3} अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है :–

{3}(1)– यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर आये मौखिक एवम दस्तावेजी साक्ष्यों का कतई गलत विवेचन करते हुये जो नामान्तरकरण भरा गया है, वह कतई खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना (राज.)

{3}(2)– यह है कि नामान्तकरण से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय को विवादित भूमि पर किसका कब्जा है, वह क्या हक अधिकार है इस बाबत में कोई किसी प्रकारका विवेचन न करते हुये जो नामान्तकरणस्वीकार किया है, वह कतई निरस्त किये जाने योग्य है।

{3}(3)– यह है कि दिनांक 22.09.2015 को ही हरिराम के स्थान पर कमलेश के नाम नामान्तकरण भरा गया एवम उसी रोज जरिये बैचाण के उक्त जायगा का नामान्करण रामनिवास पुत्र हरीराम के नाम से भरा गया, जो स्पष्ट रूप से कानून की मंशा के खिलाफ है।

{3}(4)– यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.9.2015 को जो नामान्तकरण भरे है, वो विधि विरूद्ध है, क्योकि पहले ग्राम पंचायत में नामान्तकरण बाबत दरख्वास्त देनी चाहिये थ, उसके बाद में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरणभरे जा सकते थे, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने प्रत्यार्थी सं01 व 2 से मिलकर कतई गलत नामान्तकरण दिनांक 02.09.2015 को भर दिये है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

{3}(5)– यह है कि प्रत्यार्थी सं0 3 से 5 परफोरमा पक्षकार है, जो अपीलार्थी के हक में है, इसलिए इन्हें पक्षकार बनाया गया है।

{3}(6)– यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने न्याय के सर्व मान्य व सामान्य सिद्धान्तों की स्पष्ट अवहेलना करते हुये जो नामान्तकरण भरे है, वो निरस्त किये जाने योगय है।

{3}(7)– यह है कि अपील अन्दर मयाद व न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार की है । क्योकि अपीलार्थी दिनांक 23.02.2016 को उक्त नामान्तकरण की नकले मिली है।

अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 22.09.2015 को खसरा नम्बर 82 व 83 वाके अखेपुरा तहसील नांवा के जो नामान्तकरण प्रत्यार्थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

सं0 1 व 2 के नाम से भरे है, उक्त नामान्करण मय खर्चा खारिज फरमाया जावें एवम अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

{4} अपीलान्ट ने अपील दिनांक 21.03.2016 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 04.04.2016 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अजीत सिंह राठौड़ ने अपना वकालतनामा पेश किया गया । रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 5, 6 के नोटिस तामिल के उपरान्त भी न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नोटिस सही पते का नही होने से तामिल नहीं होने से दिनांक 11.08.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के खिलाफ आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत कार्यवाही ड्रोप की गयी। अधिनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड उनके पत्रांकःभू0अ0/2017/2352 दिनांक 19.05.2017 के द्वारा न्यायालय को प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल है।

{5} – प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णीत करने से पूर्व उसके मियाद में होने के सम्बन्ध में विवेचन एवं अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की स्वीकृति की जानकारी उसे पूर्व में नहीं थी। इसकी जानकारी उसको नामान्तरकरण की नकल दिनांक 23.02.2016 को लेने से हुई। तथा अपील न्यायालय में 21.03.16 को पेश की गई है। इसके बावजूद भी अपील करने से देरी हुई तो माफ कर अपील को मियाद में होना शुमार कराने बाबत निवेदन किया हैं। अतः नामान्तरकरण की नकल प्राप्त होने के दिन से अपील करने की मियाद एक माह होती हैं तथा अपीलान्ट ने नकल प्राप्त करने की दिनांक से एक माह के अन्दर अन्दर अपील न्यायालय में पेश कर दी गयी। अतःअपील अपीलान्ट सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुवे अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{6}– वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुवे तर्क दिया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि जागीर समय से ही सम्पूर्ण भूमि अपीलार्थी के पिता स्व. पुसाराम के कब्जा काश्त की चली आ रही थी, जिसका लगान समय समय पर पुसाराम ने ही अदा किया है। उक्त जायगा पर कब्जा व हक अधिकार अपीलार्थी के पिता पुसाराम के स्वर्गवास के पश्चात उक्त भूमि पर कब्जा काश्त अपीलार्थी का ही चला आ रहा है। अतः अपीलार्थी की उक्त मुतनाजा भूमि पैतृक भूमि थी फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम नामान्तरण भरा गया जो खारीज करने योग्य है। अतः अपील को स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 51 व 52 को खारीज करने का निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि उक्त भूमि हमारी खरीद सुदा भूमि है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट सं0 2 से खरीद की थी। रेस्पोडेन्ट सं02 को यह भूमि विरासत में प्राप्त हुई थी। अतः अपील अपीलान्ट मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश की है जो खारीज योग्य होने से खारिज फरमायी जावे।

{7}– पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया एवं बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात जिसमें ग्राम अखेपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 में नामान्तरकरण सं0 51 दिनांक 22.9.15 के जरिये हरिराम पुत्र हनुमान बक्स के स्थान पर कमलेश पारीक का नाम दर्ज किया गया है। नामान्तरकरण सं0 51 विरासत एवं हकत्याग से दर्ज कर स्वीकृत किया गया है। नामान्तरकरण 52 दिनांक 22.9.2015 बेचाननामा के आधार पर दर्ज कर स्वीकृत किया गया है जिसमें कमलेश पारीक द्वारा रामनिवास पुत्र हीराराम पूनिया को बेचान किया गया है। चूंकि रेस्पोडेन्ट सं02 के विरूद्ध आदेश 9 नियम 5 के तहत पत्रावली में कार्यवाही ड्रोप की गयी है, फिर भी प्रकरण की विवेचना आवश्यक होने से इस पर गुणावगुण के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने अपनी अपील जागीर के समय से ही सम्पूर्ण भूमि पर अपने पिता स्वर्गीय पूसा राम जी के कब्जे काश्त में होने एवं अपीलार्थी के पिता पुसाराम के स्वर्गवास के पश्चात

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

उक्त भूमि पर कब्जा काश्त अपीलार्थी का चला आ रहा है के आधार पर की गयी है। उनका यह कथन भी है कि उक्त भूमि में खातेदारी में हरीराम पुत्र हनुमान बक्स कौम ब्राहण का नाम खातेदारी में चला आ रहा है एवं केवल मात्र खातेदारी में नाम दर्ज हो जाने से कोई हक अधिकार उसका एवं उसके वारिसान का नहीं बनता है। इस सम्बन्ध में रिकार्डेड खातेदार के पक्ष में जमाबन्दी जो रिकार्ड ऑफ राईट है एक ठोस दस्तावेज है जिसमें वह खातेदार के रूप में दर्ज है जिसको अन्यथा सिद्ध नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को वादग्रस्त भूमि ख0 नं0 82 व 83 ग्राम अखेपुरा तहसील नावां उसको विरासत में उसके पिता द्वारा प्राप्त हुई है जिसका नामान्तरकरण सं0 51 दिनांक 22.9.15 व रेस्पोडेन्ट सं0 2 द्वारा इस भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट सं0 1 को किए जाने से नामान्तरकरण सं0 52 दिनांक 22.9.2015 दर्ज कर स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार उक्त दोनो नामान्तरकरण विधिवत दर्ज कर स्वीकृत किए गए है। नामान्तरण की अपील कार्यवाही में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है इस हेतु अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में बाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। अतः अपीलार्थी द्वारा पेश अपील उपर्युक्त विवेचनानुसार सारहीन होने से खारिज की जानी उचित प्रतीत होती हैं

:::: आदेश ::::

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 13.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)